# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 154वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 28.09.2022 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 154वीं बैठक श्री अजय कुमार खुराना, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें श्री आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, श्री दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव, कृषि और बागवानी विभाग, राजस्थान सरकार, श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, श्री मुक्तानंद अग्रवाल, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, श्री महेंद्र कुमार पारख, आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार, श्री काना राम, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, श्री एम. पी. मीना, संयुक्त शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार, श्रीमति पुष्पा सत्यानी, आयुक्त, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, श्री जितेंद्र असाती, निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वीसी से), श्री रोहित पी. दास, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री बाइजू कुरूप, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री कमलेश कुमार चौधरी, संयोजक, एसएलबीसी राजस्थान और महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री सुधीर गोघें, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री सुधांशु खमारी, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

**श्री कमलेश कुमार चौधरी, महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 154वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया।

उन्होनें बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) के निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा जून 2022 त्रैमासिक की 8 उप समितियों की बैठकें आयोजित की गयी है।

स्टियरिंग समिति की 18वीं बैठक का आयोजन दिनांक 12.09.2022 को किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची एवं नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 154वीं बैठक के लिए संक्षिप्त एवं व्यवस्थित कार्यसूची को तैयार करना हैं। उन्होने राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एसएलबीसी, राजस्थान के समस्त हितग्राहियों का धन्यवाद किया।

**उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों एवं अन्य हितधारकों के अधिकारियों एवं राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया एवं उन्होने राजस्थान में पहली बार एसएलबीसी बैठक से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

उन्होने बताया कि जब पूरी दुनिया COVID महामारी के बाद के प्रभावों से और यूरोप में हो रहे युद्ध के प्रभाव से गुजर रही है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र उनके दुष्प्रभावों से लगभग पूरी तरह से सुरक्षित रहा है। दोनों परिदृश्यों के संदर्भ में, कहा जा सकता है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर विकास की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता के आधार पर राजकोषीय, मौद्रिक और नियामक प्रतिक्रियाओं को जांचा एवं व्यवस्थित किया गया है।

**तकनीकी नवोन्मेष (Technological Innovations)**

बैंकिंग क्षेत्र में पारंपरिक शाखा बैंकिंग को डिजिटल बैंकिंग में परिवर्तित होते देखा गया है। यह परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) में नवोन्मेष, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि, बाजार आधारित वित्तीय मध्यस्थता और फिनटेक के आगमन के कारण संभव हुआ है।

EASE 4.0 सुधारों के हिस्से के रूप में, state-owned banks को डिजिटल ऋण, गैर-बैंकिंग फर्मों के साथ सह-ऋण (को-लेंडिंग), कृषि वित्तपोषण और 24x7 बैंकिंग हेतु तकनीकी resilience पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर 9.4 करोड़ ग्राहकों की ऑन-बोर्डिंग की गयी थी एवं 79% वित्तीय लेनदेन मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए थे।

उन्होने बताया कि भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association) की 75वीं annual general meeting में बोलते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:

1. बैंक प्रौद्योगिकी और ग्राहक सेवा पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।
2. बैंक Web3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स का बेहतर इस्तेमाल करें।
3. बैंकों को अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहना होगा, जिसके आने वाले त्योहारी सीजन में और तेजी आने की उम्मीद है।
4. निजी क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेशन योजनाओं और सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करें।

उन्होने राज्य में कार्यरत सभी बैंकों से माननीय वित्त मंत्री द्वारा बताये गए सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने और विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के तहत अधिकतम नागरिकों को कवर करने हेतु अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**उन्होने SLBC की पिछली बैठक के बाद हुई निम्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला:**

- ब्रिक और मोर्टार शाखाएँ: जुलाई, 2022 के महीने में वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए पूरे भारत में 363 स्थानों की पहचान की है।

जिसमें से 95 स्थान राजस्थान के हैं। उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक आवंटित केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखाएँ खोलना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ MoU के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी वित्तीय संस्थान है। राज्य में महिला निधि, महिला स्वयं सहायता समूहों के उद्यमों के लिए समय पर ऋण सुविधा प्रदान करके राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करेगी। संस्था औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- उन्होने केरल, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58(f) के तहत राज्य के सभी क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया। यह बैंकों के लिए सभी निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों यानी सभी जिलों, कस्बों, तालुका और पंचायतों में साम्यक बंधक बनाने के लिए सुविधाजनक होगी ताकि बड़ी संख्या में ग्रामीण/गैर-अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के आवेदक, बैंकों से परेशानी मुक्त ऋण प्राप्त कर सकें।

**अध्यक्ष महोदय ने आगे निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर भी समस्त बैंकों का ध्यानाकर्षित किया-**

- जून 2022 के अंत तक राज्य के सभी बैंकों का कुल कारोबार **रु. 10.31 करोड़** के स्तर पर पहुंच गया है। बैंकों ने जमा राशि में वर्ष-दर-वर्ष **11.53%** की वृद्धि दिखाई है और बकाया अग्रिमों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि **17.58%** है।
- जून, 2022 तक राज्य का सीडी अनुपात **87.55%** है और यह आरबीआई के बेंचमार्क से काफी ऊपर है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष **16.47%** की वृद्धि दर्ज की गई है जो संतोषजनक है और कृषि क्षेत्र के अग्रिमों में जून, 2021 की तुलना में **14.74%** की वृद्धि हुई है।
- जून 2022 तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक साख योजना के तहत उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष **40.49%** है।

**उन्होने सदन को बताया कि निम्न प्रकरणों पर बैंकर्स को राज्य सरकार से समर्थन की आवश्यकता होती है:**

- उन्होने आर-सेटी से संबंधित 7-8 सालों से लंबित भूमि आवंटन के मामलें में राज्य सरकार के संबन्धित विभाग को वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करवाने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)**

- आर-सेटी द्वारा एसआरएलएम, राजस्थान सरकार को प्रशिक्षण संबंधी खर्चों के भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बकाया दावे का भुगतान न होने का मामला लंबे समय से लंबित है।

**(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)**

I. राजस्थान RACO-RODA अधिनियम, 1974 के तहत राशि लगभग रु. 3,200 करोड़ के लगभग 1.45 लाख रोडा मामले जिला/ब्लॉक स्तर पर लंबित हैं। बैंकों की एनपीए वसूली के अनुकूल माहौल

बनाने की आवश्यकता है। रु. 1,900 करोड़ के 0.93 लाख से अधिक मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

**(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)**

- संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा सरफेसी अधिनियम के मामलों में अनुमति प्रदान करने में असामान्य देरी के मुद्दे में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस संबंध में, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निपटान करने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी भी लगभग रु. 361 करोड़ के 1,353 मामले ज़िला प्राधिकारियों के पास लंबित हैं, जिनमें से रु. 240 करोड़ के 850 मामले लगभग 60 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

**(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)**

- रोडा और सरफेसी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में वसूली को गति देने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य में एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाए।

उन्होने सदन को सूचित किया कि माननीया वित्त मंत्री, भारत सरकार, अक्टूबर, 2022 के तीसरे सप्ताह में कोटा जिले में प्रस्तावित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँगी।

उन्होने सभी बैंकों, नाबार्ड, सिडबी और अन्य हितधारकों से अनुरोध किया कि वे पूर्ण निष्ठा से प्रस्तावित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लें और कृषि, एमएसएमई, खुदरा और अन्य क्षेत्रों के तहत अधिकतम ऋण स्वीकृत करें और इस आयोजन को सफल बनाएं।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

उन्होने राज्य में विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में समन्वय हेतु केंद्र / राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य सदस्यों व समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का अभिनंदन किया।

उन्होने बताया कि पिछली एसएलबीसी बैठक के बाद उन्होने लंबित मुद्दों के निस्तारण को गंभीरता से लेते हुये बैंकों में बकाया राशि की वसूली में बैंकों को सहायता व सहयोग प्रदान करने के संबंध में सभी ज़िला कलक्टरों को पत्र के माध्यम से आदेशित किया।

उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से बैंकों में बकाया ऋण वसूली की जिलेवार स्थिति राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के साथ साझा करने का अनुरोध किया जिससे अधिक लंबित प्रकरण वाले जिलों से बैठकों के दौरान इस पर चर्चा की जा सके। उन्होने बताया की प्रत्येक जिलो में ज़िला

कलक्टरों द्वारा ली जाने वाली मासिक बैठकों में बैंकों की बकाया ऋण वसूली एक स्थायी एजेंडा है एवं ऋण वसूली में गति आ रही है।

उन्होने बताया कि भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के दौरान बैंक शाखाओं का मौजूदा lien हट जाने के प्रकरणों में settlement commissioner एवं ज़िला कलक्टरों को यह अनियमितता सुधारने हेतु पत्र लिखा गया है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि कम वसूली होने के कारण वह ऋण प्रदान करना कम या बंद ना करें क्यूंकि ऋण प्रदान करने से ही ऋणी की आय बढ़ेगी एवं उसके जीवन का उद्धार होगा।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

उन्होने सूचित किया कि उन्हे PDR Act, 1952 में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर वह वित्त विभाग से विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। साथ ही उन्होने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सदैव राज्य के बैंकरों के साथ है।

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

**क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर** ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य सदस्यों व समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का अभिनंदन किया व अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान को राजस्थान में पहली बार एसएलबीसी बैठक से जुड़ने पर बधाई दी। उन्होने सदन को बताया कि एसएलबीसी की बैठकों में मुद्दों पर होने वाली चर्चा में सुधार हुआ है परंतु कार्यवाही की दिशा में हो रही प्रगति की गति असंतोषजनक है। उन्होने निम्न कार्रवाई बिंदुओं को सूचीबद्ध किया जिनकी निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के स्तर से की जाएगी-

- **एसएलबीसी की भूमिका**-

I. एसएलबीसी फोरम को एक रणनीतिक मंच के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो कि राज्य के सभी हितग्राहियों के लिए एक बौद्धिक निकाय हो, न की लक्ष्यों की अप्राप्ति पर बैंक एवं सरकार के मध्य गतिरोध प्रदर्शित करने की जगह। उन्होने अगली बैठक से पहले नाबार्ड, सिडबी, एसएलबीसी और एसबीआई को इस संबंध में मंथन करने का आमंत्रण दिया।

**(कार्यवाही: नाबार्ड, सिडबी, एसएलबीसी एवं भारतीय स्टेट बैंक, राजस्थान)**

II. एसएलबीसी एजेंडा अधिक विश्लेषणात्मक होना चाहिए और आंकड़ों की प्रस्तुति जिलेवार भी होनी चाहिए।

III. एसएलबीसी फोरम केवल सरकारी योजनाओं पर चर्चा करने में बहुत अधिक समय व्यतीत करता है जबकी सरकार की योजनाएं राज्य में कुल अग्रिम का मात्र 5-6% है। हमें राजस्थान के समग्र विकास पर चर्चा हेतु अधिक समय देने की आवश्यकता है।

IV. CRISIL Inclusive Index के अनुसार बांसवाड़ा, बाड़मेर, करौली, धौलपुर और प्रतापगढ़ Index की सूची में सबसे नीचे हैं। इनमें से हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित FI Index

के अनुसार धौलपुर और बाड़मेर की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। धौलपुर ज़िला प्रति व्यक्ति शाखाओं के जिलेवार वितरण की सूची में नीचे के 10% जिलों में आता है एवं बाड़मेर प्रति व्यक्ति बचत की जिलेवार वितरण की सूची में नीचे के 10% जिलों मे आता है। राज्य का सीडी अनुपात इतना अधिक होने के उपरांत भी सिरोही, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर जैसे कुछ जिलों का सीडी अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं|

इन जिलों के LDO/LDM/DDM को समन्वय करके अपने जिलों का SWOT Analysis करना चाहिए ताकि इन जिलों की स्थिति को समय रहते सुधारा जा सके।

**(कार्यवाही: अग्रणी जिला अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, अग्रणी ज़िला प्रबन्धक एवं अग्रणी विकास अधिकारी, नाबार्ड, जिला बांसवाड़ा, बाड़मेर, करौली, धौलपुर, सिरोही और प्रतापगढ़, राजस्थान)**

उन्होने सभी बैंकरों से अनुरोध किया कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुये इन जिलों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने का प्रयास करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- **राज्य का सीडी अनुपात**-

I. राज्य का सीडी अनुपात 87% है लेकिन वह भ्रामक है। यह वास्तव में चिंता का एक विषय है क्योंकि राज्य में जमा दर (denominator) अखिल भारतीय स्तर से नीचे है अर्थात बहुत कम है जिसके कारण सीडी अनुपात इतना अधिक है। राज्य का सीडी अनुपात इतना अधिक होने का उपरांत भी सिरोही, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर जैसे कुछ जिलों का सीडी अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं और इस बिन्दु पर भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर का ध्यान केन्द्रित है।उन्होने राज्य सरकार एवं एसएलबीसी, राजस्थान से इन जिलों में सीडी अनुपात में वृद्धि हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का सहयोग करने का अनुरोध किया।

**II.** साथ ही उन्होने आगामी एसएलबीसी त्रेमासिक बैठक में सीडी अनुपात, जमा, अग्रिम आदि के संबंध में राजस्थान के साथ-साथ अखिल भारतीय डेटा भी प्रस्तुत करने की सलाह दी।

III. उन्होने बैंकर्स को विशेषकर उक्त जिलों के वित्तीय साक्षारता केन्द्रों में सहभागिता करने का अनुरोध किया।

**IV. (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

V. मई 2022 कि प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग INR 10.7 लाख करोड़ (भारतीय व्यवसायों के सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added) का 5.9%) वार्षिक आधार पर विभिन्न ख़रीदारों द्वारा एमएसएमई suppliers को भुगतान में देरी होने के कारण सिस्टम में रुका (locked) हुआ रहता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले कॉर्पोरेट्स को TReDS प्लैटफ़ार्म पर पंजीकृत होना अनिवार्य है पर वस्तुस्थिति इससे भिन्न है जिसके कारण एमएसएमई उद्योगों को लंबित भुगतान प्राप्त करने मे परेशानी हो रही है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वह अपने सभी ग्राहक जिनका कारोबार रु. 500 करोड़ से अधिक है का TReDS प्लैटफ़ार्म पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- **कृषि ऋण**- सावधि कृषि अग्रिम में तेज़ गिरावट हुई है। Short Term to Investment Credit 2018 में 51% से 25% और अब 17% रह गया है। हमें इसे विशेष रूप से सुधारनें की आवश्यकता

है क्योंकि भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 हेतु जारी GLC के लक्ष्यों में इसका स्तर कम से कम 40% रखते हुये इसे बढ़ाने हेतु निर्देशित किया है।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- साथ ही उन्होने आगामी एसएलबीसी त्रेमासिक बैठक में कृषि ऋण डेटा को अल्पकालिक (short-term) और दीर्घकालिक (long-term) ऋण के रूप में विभाजित करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया|
- **साइबर क्राइम-** 17 अगस्त, 2022 को आरबीआई, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति में मुख्य सचिव महोदया द्वारा साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया गया था। भरतपुर के कामाँ क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र अब अगले जामताड़ा के रूप में उभर रहा है। मुख्य सचिव महोदया ने जोर देकर कहा है कि इस समस्या का निस्तारण करने के लिए एक मजबूत framework तैयार किया जाए जिसे सभी राज्यों में उपयोग किया जा सके। साथ ही मुख्य सचिव महोदया द्वारा इस बात पर भी नाराजगी जाहीर कि गई कि कुछ बैंकों के नोडल अधिकारी साइबर धोखाधड़ी के मामलों में कार्यवाही करने में तत्पर नहीं हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों और बैंकों के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लगातार बातचीत की जाए और एसएलबीसी स्तर पर इस मामले पर विचार-विमर्श किया जाए।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- उक्त बैठक में मुख्य सचिव महोदया द्वारा प्रदेश में महिला बैंक मित्रों के होने का लाभ बताया गया एवं यह भी बताया कि कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला बीसी वित्तीय समावेशन में बेहतर योगदान करती हैं। हालांकि उनके प्रशिक्षण में अधिक प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। यह देखते हुए कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, यह सरकार के लिए फोकस का क्षेत्र है।
- एसएलबीसी को बीसी से संबन्धित अन्य क्षेत्रों यथा निष्क्रिय बीसी, कुछ बैंकों के बीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सीमित सेवाएं, कुछ बीसी का प्रमाणन और प्रशिक्षण न होना, बीसी को remuneration आदि के अतिरिक्त राज्य में प्रशिक्षित महिला बीसी की वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। सभी हितग्राहकों द्वारा समीक्षा के लिए बैंक मित्रों का व्यापक डेटाबेस होना वांछनीय है।

**(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)**

- उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Committee) की 9 में से केवल 4 सिफ़ारिशों पर अद्यतन प्राप्त हुआ है। उन्होंने राजस्थान सरकार से कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Committee) की शेष सिफारिशो पर अद्यतन सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)**

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

**मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर ने** सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य सदस्यों व समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का अभिनंदन किया।

- उन्होने सूचित किया कि कुछ ज़िले यथा सिरोही, धौलपुर, करौली एवं डुंगरपुर के कुछ blocks का सीडी अनुपात बहुत कम होने के कारण इन जिलों का सीडी अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है जो कि चिंतनीय है। हमें इन जिलों का सीडी अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए।

**(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, सिरोही, धौलपुर, करौली एवं डूँगरपुर, राजस्थान)**

- केंद्र सरकार के बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कृषि क्षेत्र में targeted ground level credit (GLC) हेतु रु 18 लाख करोड़ का लक्ष्य के निर्धारित किया है जिसमे से राजस्थान के लिए रु. 1,28,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित दिया गया है वही एसएलबीसी द्वारा वितरित वार्षिक साख योजनांतर्गत लक्ष्य रु. 1,31,350 करोड़ है जोकि GLC के लक्ष्यों से अधिक है। किन्तु इसमे भारत सरकार द्वारा राजस्थान में वाणिज्यिक बैंकों के लिए लक्ष्य रु. 88,000 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किए है जबकि वार्षिक साख योजना में केवल रु. 84,325 करोड़ का ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका प्रमुख कारण सावधि ऋण में कम लक्ष्यों का आवंटन है। GLC के अंतर्गत सभी बैंकों के लिए सावधि ऋण के लक्ष्य रु 40,000 करोड़ है वहीं वार्षिक साख योजना के अंतर्गत यह लक्ष्य काफी कम है। इस संबंध में उन्होने एसएलबीसी एवं सभी बैंकों से अनुरोध किया वार्षिक साख योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों की पुनः समीक्षा करें और भारत सरकार द्वारा निर्धारित GLC के लक्ष्यों के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर उनको प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- साथ ही उन्होने बताया कि प्रतिवर्ष राज्य में सभी बैंक फार्म क्रेडिट के लक्ष्य तो प्राप्त कर रहे है किन्तु सावधि ऋण के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे है व बैंकों को कृषि क्षेत्र में सावधि ऋण को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कि विभिन्न योजनाएं यथा AIF, PMFME, Agri Business & Agri Clinic Scheme, Food Processing Scheme, Various Re-finance shemes इत्यादि उपलब्ध है। नाबार्ड द्वारा जिला स्तर पर बैंकर्स को सावधि ऋण के तहत उपलब्ध विभिन्न संभावनाओं के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है व त्रैमासिक आधार पर कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह का विश्लेषण भी किया जा रहा है। किसानों कि आय को बढ़ाने और इसे दुगना करने के उपायों पर चर्चा हेतु एसएलबीसी में एक नियमित एजेंडा होना चाहिए।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- केसीसी के अंतर्गत विशेष रूप से पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए विशेष संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत नियमित रूप से प्रगति की निगरानी की जा रही है। किसी भी आवेदन की स्वीकृति और संवितरण की 15 दिनों से अधिक लंबितता को उजागर किया जाना आवश्यक है। उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को जन सुरक्षा पोर्टल के अद्यतनीकरण और आवेदनों की स्थिति की नियमित आधार पर निगरानी करने हेतु निर्देशित करें।

**(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)**

- राजस्थान में वित्तीय समावेशन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा FIF स्कीम के तहत सभी बैंकों को लगभग 25 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में आवंटित किए गए रहे हैं। उन्होने सभी बैंकों से इसका अधिक से अधिक उपयोग करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- RBI, PFRDA, SEBI & IRDAI द्वारा प्रवर्तित NCFI (National centre for financial education) का उद्देश्य पूरे भारत में सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना है। सभी वित्तीय संस्थान एनसीएफआई के तहत चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए Financial Inclusion Fund (FIF) के तहत अनुदान (grant support) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- उन्होने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंकर्स से अधिकाधिक ऋण देने का अनुरोध किया। उन्होने एसएलबीसी को एलडीएम से SUI योजना के तहत प्रगति की समीक्षा करने और डीएलआरसी बैठकों में स्थिति को अद्यतन करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, राजस्थान)**

- भारत सरकार द्वारा FPO बनाने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है व सम्पूर्ण देश में लगभग 10,000 FPO का गठन प्रस्तावित है। वित्तीय संस्थानों की सहायता के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार नाबार्ड द्वारा CGTMSE की तर्ज़ पर पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NABSanrakshan Trustee Pvt Ltd कि स्थापना की है। इस Credit Guarantee Fund में केंद्र सरकार कि Animal Husbandry Infrastructure Fund योजना के दिये जाने वाले ऋण भी कवर होगे व कृषि और संबन्धित क्षेत्रों के लिए आवश्यक ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके।
- उच्च प्रबंधन द्वारा नाबार्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थानीय प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। इसलिए नाबार्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए हम स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होने सभी बैंकर्स से अनुरोध किया कि वे नाबार्ड के साथ जुड़ें कर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में ऋण वितरित करना हेतु सहयोग प्रदान करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- उन्होने सदन में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही/ की जा सकने वाली परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। इन परियोजनाओं में एफ़आईएफ़ के अंतर्गत बैंकों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता, कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं संवर्धन के लिए सहायता, स्वयं सहायता समूहों के लिए विभिन्न जीविकोपार्जन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, अकृषि क्षेत्र के लिए रुरल मार्ट, रुरल हाट, कारीगरों को प्रदर्शनियों के लिए सहायता, इत्यादि शामिल हैं। उन्होने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का कार्यान्वयन पंचायती राज/ ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भी किया जा सकता है।

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

**आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार** ने निम्नानुसार सदन को अवगत करवाया-

- पहली तिमाही में 1.25 लाख एमएसएमई इकाइयों को 39,000 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया जो कुल अग्रिम का 26-27% है। यह काफी सराहनीय है।
- MLUPY योजना के तहत वर्ष के लिए लक्ष्य 10780 है जिसके तहत बैंकों को लगभग 12,000 आवेदन प्रायोजित किए हैं जो कुल लक्ष्यों का लगभग 111% है। बैंकों ने 5300 आवेदनों (44%) को स्वीकृत किया है एवं 1130 आवेदनों को अस्वीकृत किया है। स्वीकृत ऋणों में से 4200 आवेदनों में वितरण किया गया है जो संतोषजनक है लेकिन स्वीकृत आवेदनों की तुलना में वितरण ऋण राशि बहुत कम है। इसलिए हमें ऋणों की मंजूरी और वितरण की गति में सुधार करने की आवश्यकता है।
- केनरा बैंक ने 58%, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 57% एवं बीआरकेजीबी ने 51% की उपलब्धि की है। पंजाब नेशनल बैंक चोथे और आरएमजीबी पांचवे नंबर पर है। उन्होने उक्त बैंकों की सराहना की एवं अन्य बैंकों को इन बैंकों से प्रेरणा लेने का अनुरोध किया। उन्होने प्रमुख 3 बैंक यथा भारतीय स्टेट बॅक, एचडीएफ़सी बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक के प्रदर्शन को असंतोषजनक बताया।बैंकों को interest subsidy के claim तिमाही पूरी होते ही समय से DIC को प्रेषित करने का सुझाव दिया।
- उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि पोर्टल में डाटा एंट्री के समय सावधानी से त्रुटि- रहित डाटा प्रेषित करें।
- सभी बैंक अपने अंतर्गत सभी पात्र उद्योगों को TReDS पर पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें जिससे एमएसएमई इकाइयों को लंबित भुगतान की समस्या का निस्तारण किया जा सके। एमएसएमई इकाइयों के लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए राज्य में 10 MSME Facilitation Councils हैं।
- PMEGP के अंतर्गत अस्वीकृति प्रतिशत कम करने की दिशा में बैंक विशेष प्रयास करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

**<u>एजेण्डा क्रमांक -1</u>** (1.1) सर्वप्रथम उन्होने बताया कि दिनांक 11.07.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 20.07.2022 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

**<u>Issues which are resolved after 153rd meeting of SLBC</u>**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने 153वीं एसएलबीसी बैठक के उपरांत प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के सौजन्य से राज्य सरकार द्वारा लंबे समय से लंबित बैंक संबंधी मुद्दों के किए गए निस्तारण के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया।

| No. | Action Point | Action By | Status |
|---|---|---|---|
| 1. | बैंकों और ऋण लाभार्थियों को बाधा रहित सामयिक बंधन (Equitable Mortgage) सृजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रान्सफर ऑफ प्रोपेर्टी एक्ट की धारा 58 (एफ) के उद्देश से राजस्थान में सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों को विनिर्दिष्ट किया जाना। | विधि विभाग, राजस्थान सरकार | विधि एवं कानून विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 4 (ग) में दिनांक 08.09.2022 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 07.07.2022 के माध्यम से राजस्थान में सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों को सामयिक बंधन (Equitable Mortgage) सृजित करने हेतु विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। |
| 2. | बैंक गारंटी पर डिजिटल ई स्टांपिंग सुविधा लागू किया जाना। | पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग एवं वित विभाग, राजस्थान सरकार | संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार ने आदेश संख्या प.2(28)वित्त/कर/2019 दिनांक 04-08-2022 के माध्यम से Stock Holding Corporation India Ltd को Bank Guarantee / Letter of Credit के दस्तावेज़ पर SWIFT INDIA Domestic Services Pvt. Ltd के पोर्टल के माध्यम से Electronic Form में निष्पादित होने पर इस दस्तावेज़ के पक्षकारों को स्टम्प ड्यूटी के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। |

**Issues in which action started after 153rd meeting of SLBC**

**कार्यवाही बिन्दु-** PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करना।

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि दिनांक 06.09.2022 को सम्पन्न एसएलबीसी की उपसमिति "बकाया बैंक ऋण" की जून - 2022 तिमाही की बैठक में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार एसएलबीसी, राजस्थान द्वारा पत्र दिनांक 08.09.22 के माध्यम PDR Act, 1952 में विभिन्न सब्सिडी वाली ऋण योजनाओं के तहत बैंकों की बकाया राशि को शामिल करने हेतु संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर विभाग को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 15.09.22 को प्रस्तुत कर दिया गया है। राजस्व विभाग से कार्यवाही अपेक्षित है।

**(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)**

**कार्यवाही बिन्दु-** कृषि ऋण रहन पोर्टल को सभी जिलो में लागू करना व पोर्टल संबन्धित कमियों को दूर करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही किया जाना।

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्रांक फा /भूप्रआ /आई.टी. /06 /2019 /पार्ट-1 /450-55 दिनांक 24-08-2022 के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार को सूचित किया है कि सेग्रीगेशन के दौरान डाटा फीडिंग के समय त्रुटिवश भूमि अभिलेखों के डिजिटलिकरण प्रक्रिया के दौरान तहसील स्तर पर बैंकों के पक्ष में मौजूदा रहन हटने के प्रकरणों के संबंध में भू- अभिलेख नियमों के अनुसार शुद्धिपत्र की कार्यवाही करने व की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराने हेतु समस्त ज़िला कलक्टर, राजस्थान से पत्र दिनांक 14.06.2022 व 17.08.2022 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। इस मुद्दे का भी यथाशीघ्र निस्तारण अपेक्षित है।

**(कार्यवाही: भू-प्रबंधन विभाग एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)**

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** ने उक्त दोनों मुद्दों का शीघ्र ही निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया।

**Issues pending with the State Governement**

**कार्यवाही बिन्दु-** पाली, जालोर व अलवर जिलों में आर-सेटी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन से संबन्धित सभी मुद्दे।

**पाली (भारतीय स्टेट बैंक)-**

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सूचित किया कि जिला कलेक्टर, पाली ने पत्र दिनांक 19/07/2022 द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को आरसेटी पाली हेतु निःशुल्क भूमि आबंटन करने बाबत पत्र पुनः जारी किया। इस पत्र की अनुपालना में सचिव, नगर विकास न्यास, पाली ने पत्र दिनांक 24/08/2022 जारी कर निदेशक, आरसेटी पाली को आबंटन पेटे रु. 93,27,731/- (राशि तिरानवे लाख सताईस हज़ार सात सौ एकतीस मात्र) जमा कराने के निर्देश दिये हैं।

चूंकि ग्रामीण मंत्रालय विभाग (MoRD), भारत सरकार के निर्देशानुसार आरसेटी के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि निःशुल्क आबंटित किए जाने का प्रावधान है। अतः उन्होने शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं राजस्व विभाग को प्रभारित शुल्क को माफ/निरस्त कराने हेतु पुनः अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)**

**<u>जालौर (भारतीय स्टेट बैंक)</u>**

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि जिलाधीश कार्यालय जालोर द्वारा अलिखित रूप से सूचित किया है कि ग्राम लेटा में नई भूमि चिन्हित कर दी गई है व स्वीकृति हेतु फाइल राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित की गई है|

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि जिला प्रशासन से फ़ाइल उनके विभाग को प्राप्त हो गई है व नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही भूमि का आवंटन करने हेतु आश्वासन दिया।

**(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)**

**<u>अलवर (पंजाब नेशनल बैंक):-</u>**

जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान अलवर के लिए 0.50 हैक्टर भूमि ग्राम हल्दीना, तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में चिन्हित कर ली गई है। जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा दिनांक 13.09.2021 को सेक्रेट्री रेवेन्यू ग्रुप 3, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को पीएनबी आरसेटी, अलवर (PNB Centenary Rural Development Trust, New Delhi) हेतु 0.50 हैक्टर भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

इस प्रकरण मे शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार दारा पत्र क्रमांक पी 06,(394) राज -3 -21 दिनांक 23-11-2021 को प्रेषित प्रस्ताव के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर अलवर को पुनः उक्त प्रयोजन हेतु चारागाह भूमि के अतिरिक्त अन्य सिवायचक भूमि की उपलब्धता होने पर सिवायचक भूमि के आवंटन का प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। अत इस मामले में RSETI अलवर डायरेक्टर द्वारा follow-up एवं जिला प्रशासन विभाग द्वारा सिवायचक भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को तीव्रता प्रदान करना अपेक्षित है।

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि उन्होने ज़िला अलवर के कलक्टर को दूरभाष के माध्यम नयी भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है।

**(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने संबन्धित बैंक से उक्त मामले में follow up करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान)**

**कार्यवाही बिन्दु-** डूंगरपुर व सिरोही जिलों में आर-सेटी भवनों के निर्माण के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा **AG** ऑडिट में विभिन्न प्रभारों की वसूली से संबन्धित मुद्दे।

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निम्नानुसार सूचित किया है:

**डूँगरपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा):** उक्त राशि 58,930/- को निरस्त कराने हेतु वित् विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना प्रस्तावित है चूंकि उक्त राशि 58,930/- महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा भूमि आवंटन को नियमानुसार नहीं मानते हुए भूमि की लागत राशि रू. 58,930/- की हानि अपेक्षित की गयी है |

**सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक):** ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने 2011 में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित की और निर्माण के बाद, संस्थान स्वयं के भवन से चल रहा है। अब 8,59,320/- रुपये की लेखापरीक्षा मांग के अनुसार, बैंक ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की है। दिनांक 09.09.2022 को न्यायालय की अग्रिम तारीख है।

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस मुद्दे का जल्द निस्तारण करें। तहसीलदार ने R-SETI, डुंगरपुर को पत्र प्रेषित करते हुये सूचित किया है कि रु. 58,930 की राशि जमा करें अथवा वह भूमि आवंटन रद्द कर देंगे। ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से कार्यवाही अपेक्षित है।

**(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)**

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** ने बताया कि एजी कार्यालय द्वारा भूमि की लागत राशि यदि अनुचित लगती है तो विभाग प्रतियुतर प्रेषित कर सकता है। यदि प्रतियुतर संतोषजनक प्रतीत होता है तो ही एजी कार्यालय इस राशि को माफ कर सकते हैं अन्यथा मुद्दे का para बन जाता है और महालेखाकार के पास जाता है। उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त मुद्दे का निस्तारण करने की दिशा में कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)**

**कार्यवाही बिन्दु-** बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड (बैंक शाखा की जानकारी) प्रदर्शित करने पर लगाने वाले शुल्क में छूट प्रदान किया जाना।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने शासन सचिव, आयोजना (सं.वि.) विभाग, राजस्थान सरकार को पत्रांक पीआर/डीएलबी/बैंक ग्लो./2020-21/4150 दिनांक 24.08.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य में निजी/ व्यावसायिक भवनों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि पर लगाने वाले होर्डिंग्स / यूनीकोड बोर्ड के लिए नगरीय निकाय अपनी उपविधियों के अनुसार निर्धारित शुल्क वसूल करते हैं जो उनकी आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। इस प्रकार निकाय क्षेत्र में स्थित बैंक परिसरों के बाहर लगने वाले ग्लो साइन बोर्ड्स पर भी शुल्क वसूला जाता है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 के अंतर्गत केंद्र सरकार/ राज्य सरकार की भूमि, भवन जिनका प्रयोग मात्र लोक प्रयोजन के लिए किया जाता है वहीं छूट प्राप्त है। बैंक, केंद्र सरकार का कोई लोक प्रयोजन संबंधी विभाग नहीं है। बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित व्यावसायिक संस्थाएं हैं, जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती हैं। अतः नियमानुसार बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क में छूट दिये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

**शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि 1x7 फीट के size के बोर्ड पर शुल्क माफ है। उन्होने एसएलबीसी, राजस्थान से अनुरोध किया कि वह 2-3 नजदीकी राज्यों में शुल्क माफी हेतु ग्लो साइन बोर्ड का अधिकतम क्या साइज़ है यह जानकारी प्राप्त करें, एवं इसकी समीक्षा करके राजस्थान में शुल्क माफी हेतु ग्लो साइन बोर्ड का अधिकतम साइज़ किए जाने पर विचार किया जा सकता है। किन्तु पूर्ण रूप से ऋण माफी नहीं किया जाना संभव नहीं है।

**(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)**

**कार्यवाही बिन्दु-** Status of Claims submitted by RSETIs through SDR to SRLM, GoR as on 31.03.2022

**सहायक महाप्रबंधक**, **राज्य स्तरिय बैंकर्स समिति**, **राजस्थान** ने सूचित किया कि 31.03.2022 तक कुल रु. 32.03 करोड़ के क्लैम पुनर्भुगतान हेतु **SRLM** के पास लंबित है। उन्होने परियोजना निदेशक**,** राजीविका से इस संबंध में अद्यतन सूचना देने का अनुरोध किया।

**परियोजना निदेशक, राजीविका, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि आर-सेटी एवं डीपी द्वारा प्रशिक्षण संबंधी खर्चों की पुनर्भुगतान राशि में अंतर होने के कारण पुनर्भुगतान में विलंब हुआ। अभी रु 32.03 करोड़ के पुनर्भुगतान claim भारत सरकार को प्रेषित किये है एवं जल्दी ही इसमे कार्यवाही होना अपेक्षित है। उन्होने आगामी MoRD, भारत सरकार की Performance Review Committee बैठक में इस मुद्दे पर अद्यतन स्थिति प्राप्त करने का आश्वासन दिया।

**(कार्यवाही: राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार)**

**Banking at a glance in Rajasthan**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति संतोष जनक है-

| Parameters | June, 2019 | June, 2020 | June, 2021 | March, 2022 | June, 2022* |
|---|---|---|---|---|---|
| No. of Branches (New Br in Yr.) | 7,942 (32) | 8,154 (17) | 8,197 (16) | 8,315 (187) | 8,339 (23) |

| *Around 68.73% branches in Rural & Semi Urban. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amt. in Rs. Crore** | | | | | |
| **Deposits (% Y-o-Y Growth)** | 4,00,734 (12.60%) | 4,52,930 (13.03%) | 4,96,732 (9.67%) | 5,47,105 (10.43%) | 5,53,997 (11.53%) |
| **Advances (% Y-o-Y Growth)** | 3,30,066 (15.36%) | 3,62,328 (9.77% | 4,05,510 (11.92%) | 4,66,511 (14.08%) | 4,76,789 (17.58%) |
| **CD Ratio** | 85.09% | 82.10% | 83.27% | 87.14% | 87.55% |
| **PS Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)** | 2,11,466 (9.26%) (64.07%) | 2,30,422 (8.96%) 63.59%) | 2,57,304 (11.67%) (63.45%) | 3,00,798 (16.98%) (64.48%) | 2,99,674 (16.47%) (62.85%) |
| **Agri. Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)** | 9,90,38 (0.05%) (30.01%) | 1,09,404 (10.47%) (30.19%) | 1,20,663 (10.29%) (29.76%) | 1,37,100 (12.83%) (29.39%) | 1,38,444 (14.74%) (29.04%) |
| **MSME Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)** | 7,70,34 (14.81%) (23.24%) | 82,833 (7.53%) (22.86%) | 96,199 (16.14%) (23.72%) | 1,20,943 (27.37%) (25.93%) | 1,23,561 (28.44%) (25.92%) |

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सूचित किया कि राज्य में जून 2022 तक 8339 शाखाओं में से 68.73% ग्रामीण व अर्ध शहरी केन्द्रों पर कार्यरत हैं।

**प्रमुख शासन सचिव, कृषि और बागवानी विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- जून 2019 में कृषि ऋण कुल ऋण का 30.01% था जो अब लगभग 1% से घटकर जून 2022 में 29.04% है जो कि चिंतनीय है क्योंकि राज्य में लगभग 70% शाखाएँ ग्रामीण व अर्ध शहरी केन्द्रों में स्थित हैं जहां कृषि ऋण दिया जाता है। कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए कुल अग्रिम के सापेक्ष कृषि ऋण का बढ़ाना आवश्यक है।

**मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड** की टिप्पणी- राजस्थान का कम CD Ratio वाले जिलों का सीडी अनुपात बढ़ाए जाने हेतु सभी बैंकों को roadplan तैयार करना चाहिए व इन जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को कम सीडी अनुपात के संबंध में सभी बैंक शाखाओं के साथ मिलकर उचित कार्यशैली बना कर उसे लागू करना चाहिए।

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने आश्वासन दिया कि अगली एसएलबीसी उपसमिति बैठकों में roadplan तैयार कर सभी बैंकों व अग्रणी जिला प्रबन्धकों के साथ चर्चा की जाएगी।

**(कार्यवाही: समस्त बैंक एवं संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक समिति, राजस्थान)**

**Achievement against stipulated Benchmark on June 2022:**

राज्य में समस्त बैंकों का साख जमा अनुपात 87.55% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 60% से काफी ऊपर है। कुल अग्रिमों के अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 62.85% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क वाणिज्यिक बैंक 40% व आरआरबी व एसएफ़बी 75% से काफी ऊपर), कृषि क्षेत्र को 29.04% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 18% से काफी ऊपर), सीमांत किसानों को 15.11%, कमजोर वर्ग को 19.79% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 11.5% वाणिज्यिक बैंक, एसएफ़बी व 15% आरआरबी से काफी ऊपर) तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 12.80% रहा है।

**प्रमुख शासन सचिव, कृषि और बागवानी विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया कृषि ऋण कुल कृषि ऋण का 24.03% है जो बहुत कम है एवं चिंतनीय है। उन्होने एसएलबीसी, राजस्थान से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गए कृषि अग्रिम की कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष प्रतिशत का राष्ट्रीय औसत एवं देश के अन्य कृषि प्रधान राज्यों के आंकड़ों के सापेक्ष राजस्थान के आंकड़ों की समीक्षा करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)**

**उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर की टिप्पणी:** PM Task Force on MSME के अनुसार निर्धारित मापदंडों में micro enterprises के खातों में तिमाही दर तिमाही कमी दिखाई दे रही है जो की चिंताजनक है| जिसे बढ़ाने हेतु सभी बैंकों को प्रयास करने पड़ेगे व micro enterprises के खातों में तिमाही दर तिमाही कमी आ रही है उनके कारणों की जांच करनी पड़ेगी।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**Setting up of Brick and Mortar Branches**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि राजस्थान में 363 स्थानों में से 95 स्थानों को ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित किया गया था और उसी के अनुसार एसएलबीसी, राजस्थान द्वारा सदस्य बैंकों को आवंटित किया गया है। उन्होने सूचित किया कि 95 केन्द्रों में से 19 केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। 25 केन्द्रों पर शाखा खोलने हेतु बैंकों द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है। 51 केन्द्रों पर आज दिनांक तक बैंकों द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत नहीं करवाया गया है।

**प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक** ने सूचित किया कि उनके केंद्रीय कार्यालय से आवंटित केंद्र पर शाखा खोलने के संबंध में निर्देश प्राप्त हो गई है व इस संबंध में ई-मेल के माध्यम से एसएलबीसी, राजस्थान को सूचित कर दिया गया है।

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक को सूचित किया कि उनके द्वारा किया गये ई-मेल में शाखा खोलने की feasibility के संबंध में लिखा है। उन्होने प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक से सहमति देने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: एक्सिस बैंक, राजस्थान)**

**प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक** ने सूचित किया कि कि वह दोनों केन्द्रों पर शाखाएँ खोल रहे हैं। सहमति वापस भेज देंगे।

**प्रतिनिधि, बैंक ऑफ इंडिया** ने सूचित किया कि उन्होने वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केंद्र उनको आवंटित किया गए थे उन केन्द्रों को पुनः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आवंटित कर दिया जाए क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब PCA से बाहर आ गया है। इनके अतिरिक्त दो केन्द्रों पर पूर्व से शाखाएँ कार्यरत है और इन्होने संबन्धित बैंकों से इन शाखाओं को पोर्टल पर अद्यतित करने हेतु अनुरोध किया है।
**प्रतिनिधि, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** ने आश्वासन दिया कि यदि दोनों केंद्र उन्हे पुनः आवंटित होते हैं तो उनका बैंक अपने प्रधान कार्यालय से आवश्यक समन्वय कर वहाँ शाखाएँ खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

**(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान)**

**प्रतिनिधि, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार की टिप्पणी-** उन्होने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से उनको पूर्व में आवंटित दोनों केन्द्रों पर शाखाएँ खोलने का अनुरोध किया। उन्होने सभी बैंकों को सूचित किया कि वह उनको आवंटित केन्द्रों पर 31.12.2022 तक शाखा खोलना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**प्रतिनिधि, एचडीएफ़सी बैंक, राजस्थान** ने सूचित किया कि लंबित 3 केन्द्रों में से 1 का consent उन्होने प्रदान कर दिया है एवं 2 केन्द्रों का कंसेंट आगामी 2 दिनों में प्रदान कर देंगे।

**प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक** ने सूचित किया कि उनको आवंटित 6 में से 2 केन्द्रों पर पूर्व में ही बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं एवं बाकी केन्द्रों पर वह शाखाएं खोलेंगे।

**प्रतिनिधि, बीआरकेजीबी, राजस्थान** ने सूचित किया कि 5 में से 1 केंद्र पर बैंक शाखा कार्यरत है पर वह उसे पोर्टल पर अद्यतित नहीं कर पा रहे हैं। बाकी 4 केन्द्रों पर उनका बैंक शाखा खोलने जा रहा है एवं औपचारिक सहमति एसएलबीसी, राजस्थान को आज ही प्रेषित कर दी जाएगी।

**प्रतिनिधि, यूको बैंक, राजस्थान** ने सूचित किया कि 5 में से 1 केंद्र पर आईसीआईसीआई बैंक की शाखा कार्यरत है। बाकी 4 केन्द्रों पर वह शाखा खोलेंगे।

**प्रतिनिधि, इंडियन बैंक, राजस्थान** ने सूचित किया कि 3 में से 1 केंद्र पर ए यू फ़ाइनेंस बैंक की शाखा कार्यरत हैं, और अतिरिक्त 2 केन्द्रों का survey करके अपने प्रधान कार्यालय को भेज दिया है। उनका उत्तर आते ही शाखा खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर देगे।

**प्रतिनिधि, इंडियन ओवर्सीज बैंक, राजस्थान** ने सूचित किया कि उनके द्वारा केन्द्रों का सर्वे करके उनके बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दिया गया है।

**प्रतिनिधि, यूनियन बैंक इफ इंडिया, राजस्थान** ने सूचित किया कि उनके द्वारा केन्द्रों का सर्वे करके उनके बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दिया गया है एवं वह आवंटित केन्द्रों पर शाखाएँ खोल रहे हैं।

**प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सूचित किया कि भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान ने उनको आवंटित केन्द्रों पर शाखाएँ खोलने की सहमति दे दी है।

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सूचित किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आवंटित केन्द्रों पर प्रस्तावित शाखाओं हेतु शाखा प्रबन्धक भी चयनित कर लिए हैं व हैड कैशियर के चयन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि शाखाएँ खोलने हेतु जो भी औपचारिकतायें हैं उन्हे जल्द से जल्द पूरी करें एवं नियत तिथि से पूर्व शाखाएँ खोलना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने उक्त सभी बैंकों से अनुरोध किया कि तुरंत ही आवंटित केन्द्रों पर शाखाएं खुलवाने के लिए सहमति एसएलबीसी, राजस्थान को उपलब्ध करवाएँ।

**(कार्यवाही: एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बीआरकेजीबी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, इंडियन बैंक एवं इंडियन ओवर्सीस बैंक, राजस्थान)**

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि वह ब्रिक एवं मोर्टर शाखाएँ खोलने हेतु मुख्यतया छोटे गाँवों में ग्राम पंचायत के भवन उपलब्ध करवाने हेतु संबन्धित को निर्देशित करें जिससे उन केन्द्रों पर शाखाएँ खोलने का काम शीघ्रता से किया जा सके।

**(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)**

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** ने अनुरोध किया कि यदि किसी केंद्र पर भवन उपलब्ध होने में समस्या आ रही है तो उन्हे सूचित करें, उन केन्द्रों पर पंचायत के भवन उपलब्ध करवा दिये जाएंगे।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- 3000 से अधिक आबादी वाले केन्द्रों पर बैंक शाखा की कार्यवाही अतिशीघ्र की जानी चाहिये। राजस्थान में 290 ऐसे ग्राम हैं जहां 10 किमी

की परिधि में शाखा नहीं है और 2,255 ऐसे केंद्र हैं जिनमे 5 किमी की परिधि के अंतर्गत शाखाएँ नहीं है, इन केन्द्रों पर भी बैंक शाखाएँ खोलने का कार्य आगामी समय में करना पड़ेगा। बैंक मित्र और बैंक शाखाये एक समान नहीं है। वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार भी इसकी व्याख्या बदलने वाली है। जब तक यहाँ बैंक शाखाएँ खुलती हैं तब तक बैंक मित्रों की बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने से संबन्धित गतिविधियों की गंभीरता से समीक्षा करने की आवश्यकता है।

**Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि संतृप्ति अभियान के तहत दिनांक 29.06.2022 तक की प्रगति इस प्रकार है:

| Special Drive for Jan Suraksha Scheme | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PMJJBY | | PMSBY | | APY | |
| | Target | Enrolled | Target | Enrolled | Target | Enrolled |
| 29.06.2022 | 69,15,500 | 18,54,848 (27%) | 96,73,911 | 46,87,057 (48%) | 56,33,175 | 6,74,810 (12%) |
| 14.09.2022 | 69,15,500 | 21,27,652 (31%) | 96,73,911 | 51,07,506 (53%) | 56,33,175 | 7,787,50 (14%) |

उन्होने बताया कि एलएसबीसी, राजस्थान की पिछली बैठक में दिनांक 15.07.2022 से 15.09.2022 तक जन सुरक्षा योजनाओं की संतृप्ति हेतु विशेष अभियान की शुरुआत कर सभी बैंको से इस अभियान के दौरान आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने का अनुरोध किया था। किन्तु वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं योजनाओं में 100% संतृप्ति को प्राप्त करना है। लेकिन इन योजनाओं में प्रगति अपेक्षानुसार नहीं है। अतः बैंकों से अनुरोध है कि उचित कार्य योजना बनाते हुए सभी ग्राहकों को पात्रतानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कवर करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**Atal Pension Yojna:**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:

| Progress upto 15.09.2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type of Bank | Name of Banks | No. of Branches | Target (Per Branch) | Total Target | Ach. Up to 15.09.2022 | % Ach. |
| PSB | | 4142 | 80 | 331360 | 223823 | 68 |
| RRB | | 1575 | 80 | 126000 | 69059 | 55 |
| Small Finance Bank | | 247 | 50 | 12350 | 5009 | 41 |
| Private | Other Private Banks | 349 | 30 | 10470 | 1854 | 18 |
| | HDFC, Axis, ICICI and IDBI | 910 | 80 | 72800 | 3154 | 4 |
| Co-Op. | | 462 | 20 | 9240 | 0 | 0 |
| Total | | 7685 | | 562220 | 302899 | 54 |
| * Data received from PFRDA | | | | | | |

राज्य में कुल 5,62,220 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 15.09.2022 तक 3,02,899 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 54% रही है।

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने अटल पेंशन योजना में निजी बैंकों के योगदान को असंतोषजनक बताया।

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सभी निजी बैंकों को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक, राजस्थान)**

उन्होने एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक जैसे बड़े निजी बैंकों की अत्यधिक शाखाएं होते हुये भी इतनी कम प्रगति अस्वीकार्य है। पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रदर्शन भी असंतोषजनक है। उन्होने निजी बैंकों को इस पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया।

**प्रतिनिधि, एचडीएफ़सी बैंक, राजस्थान** ने सूचित किया कि पिछले वित्तीय वर्ष में उनके बैंक द्वारा एपीवाई के लक्ष्य को over-achieve किया गया था एवं इस वर्ष भी वह लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

**प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक, राजस्थान** से आश्वासन दिया की उनकी प्रगति अगली एलएसबीसी बैठक में परिलक्षित होगी।

**क्षैत्रिय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर** की टिप्पणी- आधा वित्तीय वर्ष बीत जाने के उपरांत 3-4% की उपलब्धि होने से शेष वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति मुश्किल है।

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- सरकारी योजनाओं में भी निजी बैंकों का योगदान सराहनीय नहीं है। यदि निजी बैंक अपना प्रदर्शन नहीं सुधारेंगे तो राज्य सरकार को भी इन बैंकों को दिये जाने वाले सहयोग के बारे मे विचार करना पड़ेगा। उन्होने सभी निजी बैंकों से आगामी तिमाही में सभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अपना प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक, राजस्थान)**

**<u>Deepening of Digital Payments Ecosystem:</u>**

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि जिला करौली, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर एवं सिरोही को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है जिनमे से करौली ज़िले में 100% डिजिटलिकरण हो गया है। 100% डिजिटल ज़िलों हेतु करौली, अजमेर, धौलपुर, जैसलमर एवं सिरोही की प्रगति निम्नानुसार है:

| Status of 100 % Digital District - Karauli - Ajmer - Dholpur - Sirohi - Jaisalmer | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. NO. | District | Months | Digital coverage for individuals (Savings Accounts) | | | | Digital coverage for Businesses (Current Accounts) | |
| | | | Eligible Operative Savings Accounts | | % Coverage with at least one of the digital modes of payment | | Total No. of Eligible Operative Current/ Business Accounts | % Coverage with at least one of the digital modes of payment |
| | | | No. of Accounts | Of which, no. of women accounts | All Accounts | women accounts | | |
| 1 | Karauli | Jul-22 | 12.77 Lakhs | 5.69 Lakhs | 99.83 | 99.72 | 0.16 Lakhs | 99.33 |
| 2 | Ajmer | Jun-22 | 34.21 Lakhs | 14.82 Lakhs | 88.21 | 75.37 | 1.15 Lakhs | 78.84 |
| 3 | Dholpur | Jun-22 | 10.37 Lakhs | 4.90 Lakhs | 90.92 | 89.65 | 0.12 Lakhs | 71.18 |
| 4 | Sirohi | Jun-22 | 9.38 Lakhs | 3.97 Lakhs | 86.22 | 90.25 | 0.17 Lakhs | 58.19 |
| 5 | Jaisalmer | Jun-22 | 5.03 Lakhs | 2.11 Lakhs | 91.99 | 90.45 | 0.14 Lakhs | 55.19 |

उन्होने बताया कि सभी जिलों में नोडल अधिकारी चयनित कर लिए गया है एवं जिलों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है।

**उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर** की टिप्पणी- उक्त जिलों में विशेषकर धौलपुर एवं जैसलमर जिलों में बचत खातों का डिजिटल कवरेज सरहनीय है किन्तु चालू खातों में डिजिटल कवरेज बहुत कम है। उन्होने सभी बैंकों से एवं उक्त जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से इन जिलों के चालू खातों में डिजिटलिकरण बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, अजमेर, धौलपुर, सिरोही एवं जैसलमर व समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बैंकर्स एवं वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से व्यापारियों को QR Code प्रदान करते हुये उक्त जिलों को 100% डिजिटल बनाने हेतु कठोर प्रयास करने हेतु निर्देशित किया।

**(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, अजमेर धौलपुर, सिरोही एवं जैसलमर व समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**KCC Saturation Drive:**

**District Level Special KCC Campaign for Animal Husbandry and Fisheries Farmers from 15.11.2021 to 09.09.2022:**

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में डेयरी कृषकों को संतृप्ति स्तर तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण उपलब्ध करवाने हेतु चलाये जा रहे राष्ट्रव्यापी डेयरी/फिशरीज़ केसीसी संतृप्ति अभियान की दिनांक 15 नवम्बर, 2021 से 09 सितंबर, 2022 तक पशुपालन व मत्स्य पालन के तहत प्रगति निम्नानुसार है:

| Progress under KCC Campaign for Animal Husbandry & Fisheries from 15.11.2021 to 09.09.2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Particulars | Cumulative No. of Applications under Animal Husbandry | | | | |
| | | Received | Accepted | Sanctioned | Rejected | Pending |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | All Banks | Animal Husbandry | 1,32,126 | 1,25,122 | 66,406 | 56,731 | 1,985 |
| B | | Fisheries | 439 | 436 | 92 | 323 | 21 |

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सूचित किया कि पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए 15 सितंबर 2022 से 15 मार्च 2023 तक राष्ट्रव्यापी AHDF केसीसी अभियान को फिर से शुरू करने की सूचना दी है।

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वह संबन्धित जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को लिखित में लंबित आवेदनों की संख्या सूचित करें जिससे वह सही आंकड़े पोर्टल पर अद्यतित कर सकें। साथ ही सभी बैंकों से अभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का निश्चित समय सीमा में निपटान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

उन्होने अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान को सूचित किया कि प्रारम्भ में नए आवेदनों में अधिक कमियां होने के कारण अस्वीकृति प्रतिशत अधिक दिख रहा है।

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** की टिप्पणी- ऐसे आवेदनों की कमियाँ दूर करके पुनः प्रस्तुत करवाना एवं लंबित आवेदनों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें व अधिक से अधिक कृषकों को केसीसी उपलब्ध करवाने का प्रयास करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर** ने सूचित किया कि एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कुछ शाखाएँ ग्राहकों को केसीसी आवेदन वापस लेने हेतु अनुरोध करते हैं। इस प्रकार से अस्वीकृति प्रतिशत और अधिक हो जाता है। इस मुद्दे की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

**प्रमुख शासन सचिव, कृषि और बागवानी विभाग, राजस्थान** सरकार की टिप्पणी- केसीसी के अंतर्गत अस्वीकृति प्रतिशत लगभग 40% है जो चिंतनीय है। उन्होने सभी बैंकर्स से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किए गए आवेदन त्रुटिरहित हों ताकि अस्वीकृति प्रतिशम कम हो।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सूचित किया कि सभी बैंकों को आवेदन लेते समय ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आवेदन त्रुटिहीन हों जिससे अस्वीकृति प्रतिशम कम हों।

उन्होने सूचित किया कि 1,985 लंबित आवेदनों में से 1,296 आवेदन सहकारी बैंक के, 172 आवेदन आईडीबीआई बैंक के, 141 आवेदन इंडियन ओवर्सीस बैंक के एवं 202 आवेदन बीआरकेजीबी के है। यह सभी आवेदन 15 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

**क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर** ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवर्सीस बैंक एवं बीआरकेजीबी से लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा क्योंकि अगली बैठक में इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

**(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवर्सीस बैंक एवं बीआरकेजीबी, राजस्थान)**

**संयोजक**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सूचित किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान द्वारा 01.10.2022 से केसीसी संतृप्ति हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उन्होने यथासंभव सभी अस्वीकृत आवेदनों को त्रुटिरहित करवा के पुनः प्रस्तुत करवाने का आश्वासन दिया।

**उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बॅक, जयपुर** की टिप्पणी- आवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात स्वीकृति तक turn around time (TAT) बहुत अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु में pilot basis पर डिजिटल केसीसी की पहल की है जिससे TAT बहुत कम हुआ है।

**PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में 1,95,000 के लक्ष्य के सापेक्ष 78,745 आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से 69,314 आवेदनों में रु. 7103.72 लाख (35.55%) वितरित किए गए हैं जो असंतोषजनक है। राज्य में कुल स्वीकृत किए गए आवेदनों में से 92.15% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 3.74% निजी क्षेत्र के बैंकों, 3.65% ग्रामीण बैंकों, 0.45% स्माल फ़ाइनेंस बैंकों के द्वारा किए गए है। स्वीकृत किए गए आवेदनों में से 11583 आवेदनों में ऋण वितरित नहीं किया गया है। उन्होने सभी बैंकों से इनमे ऋण वितरण करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

उन्होने सूचित किया कि PMSVANidhi के अंतर्गत प्राप्त हो रहे आवेदनों की संख्या में कमी आई है एवं first term वितरण के पश्चात second term वितरण में भी विलंब होता है।

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

| Top Performing Major Banks under as on 08.09.2022 | | | | | Low Performing Major Banks under as on 08.09.2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Particulars | Target alloted by DFS (No. of A/c) | Total Disbursement | % Disbursement against Targets | Sr. No. | Particulars | Target alloted by DFS (No. of A/c) | Total Disbursement | % Disbursement against Targets |
| 1 | Bank of India | 4330 | 4522 | 104.43 | 1 | Yes Bank Ltd. | 3573 | 0 | 0.00 |
| 2 | Bank of Baroda | 17880 | 15846 | 88.62 | 2 | IndusInd Bank | 4161 | 0 | 0.00 |
| 3 | State Bank of India | 33931 | 27667 | 81.54 | 3 | Bandhan Bank Ltd. | 8029 | 1 | 0.01 |
| 4 | Bank of Maharashtra | 1260 | 655 | 51.98 | 4 | Axis Bank | 6515 | 6 | 0.09 |
| 5 | Central Bank of India | 5423 | 2321 | 42.80 | 5 | Kotak Mahindra Bank Li | 2396 | 7 | 0.29 |
| 6 | Indian Bank | 4582 | 1604 | 35.01 | 6 | AU Small Finance bank | 7230 | 110 | 1.52 |
| 7 | Indian Overseas Bank | 2312 | 717 | 31.01 | 7 | ICICI Bank | 12989 | 269 | 2.07 |
| 8 | Union Bank of India | 9248 | 2803 | 30.31 | 8 | HDFC Bank | 7903 | 238 | 3.01 |

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** की टिप्पणी- सभी सरकारी योजनाओं में निजी बैंकों की प्रगति असंतोषजनक है। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया की बैंकों को सरकारी व्यवसाय प्रदान करते समय निजी बैंकों द्वारा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे नगण्य योगदान को संज्ञान में लें और इसके अनुरूप ही सरकारी व्यवसाय प्रदान करें।

**(कार्यवाही: विभिन्न नोडल विभाग, राजस्थान सरकार)**

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- निजी बैंकों का सरकारी योजनाओं में योगदान नगण्य है। राज्य सरकार को निजी बैंकों को दिये जाने वाले सरकारी व्यवसाय पर पुनः विचार करना पड़ेगा।

**निदेशक (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार इस नीति पर कार्यरत हैं कि जो बैंक सरकारी योजनाओं में योगदान नहीं करेंगी उनसे सरकारी व्यवसाय वापस ले लिए जाएगा। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं प्रमुख शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी IGSCCY की समीक्षा के दौरान एचडीएफ़सी एवं आईसीआईसीआई बैंक के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी प्रकट की गयी थी एवं यह निर्णय लिया गया था कि यदि HDFC बैंक ने 15 दिनों मे प्रदर्शन बेहतर नहीं किया तो उनसे सरकारी व्यवसाय वापस ले लिया जाएगा।

**(कार्यवाही: HDFC बैंक व अन्य समस्त निजी सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**Pradhan Mantri Mudra Yojna:**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 09.09.2022 तक 5,38,796 खातों में कुल रुपये 4,799 करोड़ का ऋण वितरण किया गया।

उन्होने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्य मुद्रा पोर्टल पर विभिन्न बैंकों द्वारा अद्यतन नहीं किए गए हैं। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि वे पोर्टल पर लक्ष्य को अपडेट करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

दिनांक 09.09.2022 तक श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

| Sr. No. | Category | No. of A/c's | Disbursed Amt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Shishu | 3,91,545 (73%) | 1,187.98 |
| 2 | Kishore | 1,25,082 (23%) | 1864.79 |
| 3 | Tarun | 22,169 (4%) | 1746.65 |
| | Total | 5,38,796 (100%) | 4799.42 |

कुल 5.39 लाख PMMY ऋण स्वीकृतियों में से 3.91 लाख ऋण (73.00%) शिशु वर्ग के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं जो सराहनीय है।

**<u>स्टैंड अप इंडिया योजना</u> <u>Stand Up India Scheme (SUI)</u>**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से दिनांक 29.08.2022 तक राज्य में 6659 आवेदनों में राशि रु. 1524.93 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए व वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 29.08.2022 तक रु. 100.31 करोड़ के 413 आवेदन स्वीकृत किए गए।
उन्होने बैंकों से स्वीकृत किए गए ऋणों में ऋण वितरण करने एवं स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम ऋण कवर करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

उन्होने समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्रत्येक डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने के का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, राजस्थान)**

**<u>Annual Credit Plan 2022-23</u>**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रु॰ 2,29,076 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जून, 2022 तिमाही तक 40.49% उपलब्धि रही है जो सराहनीय है। कृषि में 35.04%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 54.16% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 29.82% की उपलब्धि दर्ज की गई है।

वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (0.50%), आरबीएल बैंक (5.59%), यूको बैंक (9.76%), आरएसएलडीबी (11.41%), केनरा बैंक (21.90%), बंधन बैंक (24.35%) से लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया।

**(कार्यवाही : बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरबीएल बैंक, यूको बैंक, आरएसएलडीबी, केनेरा बैंक एवं बंधन बैंक राजस्थान)**

**प्रतिनिधि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान** ने सूचित किया कि कि वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उनके द्वारा प्रेषित डाटा में त्रुटि है। उनके बैंक द्वारा 25% उपलब्धि की गयी है।

**सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान से सही आंकड़े प्रेषित करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान)**

**प्रतिनिधि, यूको बैंक, राजस्थान** ने आगामी तिमाहियों में अच्छा प्रदर्शन करते हुये लक्ष्य प्राप्त करने का आश्वासन दिया। उन्होने सूचित किया कि वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उनके बैंक को आवंटित लक्ष्य राज्य में उनके बैंक के कुल अग्रिम का लगभग 50% है।

**(कार्यवाही, यूको बैंक, राजस्थान)**

**प्रतिनिधि, केनरा बैंक, राजस्थान** ने सूचित किया कि आज दिनांक तक उन्होने वार्षिक साख योजना के अंतर्गत 50% उपलब्धि हासिल कर ली है एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ती तक वह 100% लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

**(कार्यवाही: केनरा बैंक, राजस्थान)**

**National Rural Livelihood Mission**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लक्ष्य 91,100 के सापेक्ष दिनांक 08.09.2022 तक 35,331 खातों (38.78%) में 428.25 करोड़ (29.74%) का ऋण वितरण किया गया है।

वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक विशेषकर आरएमजीबी (2.24%), भारतीय स्टेट बैंक (13.43%) एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (20.47%) से लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: आरएमजीबी, भारतीय स्टेट बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)**

NRLM योजना के तहत वाणिज्यिक बैंकों ने 37.17%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 20.42%, निजी बैंक ने 40.41% एवं सहकारी बैंक द्वारा 0.00% ऋण प्रदान किए हैं।

**परियोजना निदेशक, राजीविका, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि-

- NRLM के अंतर्गत प्रति स्वयं सहायता समूह वितरण राशि बहुत कम है उदाहरणतः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (रु. 51,000), यूको बैंक (रु. 54,000) एवं आरएमजीबी (रु. 59,000) जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार यह वितरण प्रति स्वयं सहायता समूह रु. 1,50,000 का होना अनिवार्य है।

  **(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**
- बैंक शाखाओं के पास स्वयं सहायता समूहों के खाते खोलने हेतु 9,000 आवेदन लंबित हैं। कृपया इनका निस्तारण करें।

  **(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**
- यूको बैंक द्वारा एसएचजी के सभी सदस्यों को खाता खुलवाने हेतु बैंक बुलाया जाता है जो कि दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। उन्होने यूको बैंक से राजीविका, राजस्थान सरकार को लिखित में यह प्रेक्टिस बंद किए जाने हेतु सूचित करने का अनुरोध किया है।

  **(कार्यवाही: यूको बैंक, राजस्थान)**

- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाता खोलते समय service/ documentation शुल्क लेती हैं। उन्होने बैंक से अनुरोध किया कि उनके प्रधान कार्यालय से यह शुल्क हटाने हेतु हुये संचार/पत्राचार को राजीविका, राजस्थान सरकार को प्रेषित करें।

**(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान)**

- भारतीय स्टेट बैंक एवं आरएमजीबी ने NRLM के अंतर्गत प्रगति की है। उन्होने दोनों बैंकों से शत प्रतिशत उपलब्धि करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक एवं आरएमजीबी, राजस्थान)**

- पिछले वित्तीय वर्ष में रु 2950 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था। इनमे से 31,000 ऋण नवीनीकरण के लिए लंबित हैं। उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि पिछले वर्ष जिन खातों में पहला ऋण वितरण किया गया, उनका renewal करना सुनिश्चित करें एवं ticket size न्यूनतम रु. 3,00,000 होना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- राज्य में 11,000 ग्राम पंचायतें हैं जिनमे इस वर्ष 5,000 के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 1,200 महिला बीसी कार्यरत हैं। 1 जीपी- 1 बीसी सखी कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होने सभी बैंकों को अच्छी प्रगति दर्ज करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर** कि टिप्पणी- एचडीएफ़सी एवं आईसीआईसीआई बैंक का NRLM के अंतर्गत प्रदर्शत सरहनीय है। यह प्रदर्शन बाकी सरकारी योजनाओं में क्यों परिलक्षित नहीं हो रहा है?

**प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक, राजस्थान** ने सूचित किया कि उनके बैंक में स्वयं सहायता समूहों हेतु समर्पित (Dedicated) टीम है। पिछले वित्तीय वर्ष में आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक का एनआरएलएम के अंतर्गत 60% योगदान था जिसमे से आईसीआईसीआई बैंक का योगदान 30% था । बाकी सरकारी योजनाओं में उन्हे कुछ समस्याओं का सामना करना पड रहा है पर वर्ष के अंत तक वह अच्छी प्रगति करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का NRLM के अंतर्गत सबसे अधिक रु.2,70,000 का ticket size है।

**क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर** कि टिप्पणी- FPO को अग्रेषित किए जा रहे ऋण में क्या स्थिति है? FPOs को ऐसी किन चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनका स्वयं सहायता समूहों ने समाधान कर लिया है?

**परियोजना निदेशक, राजीविका, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि राजीविका द्वारा 26 FPOs को ऋण सहायता प्रदान की गयी है। एसएचजी सामाजिक ईकाई है जिसमे प्रति सदस्य विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यकता अनुसार ऋण लेती है एवं FPO व्यावसायिक इकाई है जिसमे सभी सदस्य मिलकर एक ही व्यवसाय के लिए ऋण लेते हैं।

**National Urban Livelihood Mission**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 6,000 व्यक्तियों, 136 समूहों एवं 2,763 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 08.09.2022 तक उपलब्धि क्रमशः 535 (8.92%), 3 (2.21%) एवं 140 (5.07%) रही है। लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित नहीं किए है।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत गुणवत्ता वाले आवदेन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें एवं एक शाखा में समान प्रकार के व्यवसाय आवेदन पत्र प्रेषित नहीं करने हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित करें एवं बैंक शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र प्रेषित करें।

**(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)**

**परियोजन निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि उनके विभाग के स्तर पर कुछ समस्याये थी जिन्हेदूर कर लिया गया है व अब आगामी तिमाहियों में उचित गुणवत्ता वाले पर्याप्त आवेदन पत्र प्रेषित किए जायेगे।

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** ने स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार से उचित गुणवत्ता वाले पर्याप्त आवेदन पत्र एकत्र करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)**

**Special Central Assistance Scheme SC/ST**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 11,850 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.07.2022 तक मात्र 113 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 0.95% उपलब्धि है जो असंतोषजनक है।

**महाप्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि इस योजना में सशोधन किए जा रहे हैं। 10 अक्तूबर, 2022 को इस संबंध में बैठक है जिसके बाद संशोधनों की सूचना साझा कर पाएंगे। संशोधन में सब्सिडि रु. 50,000 प्रस्तावित है।

**Prime Minister Employment Generation Programme**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 08.09.2022 तक की प्रगति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया:

- राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 114.48 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 08.09.2022 तक राशि रू 22.62 करोड़ (Disbursement) उपलब्धि रही है जो कि 19.76% है। इस उपलब्धि पर उन्होने बैंकों को बधाई दी।

| Progress as on 08.09.2022 | | | | | | | | | | | | | (Amt. in Cr.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | FY 2021-22 Targets | Forwarded to Bank | | Sanctioned by Bank | | | Margin Money Claimed | | | MM Disbursed | | | Rejected | | |
| | | No of Prj. | MM Involve | No of Prj. | MM Involve | % | No of Prj. | MM Involve | % | No of Prj. | MM Involve | % | No of Prj. | MM Involve | % |
| 1 | 114.48 | 3339 | 150.64 | 973 | 49.93 | 43.61 | 533 | 23.07 | 20.15 | 545 | 22.62 | 19.76 | 1207 | 41.10 | 27.28 |

PMEGP के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

| Top Performing Banks under as on 08.09.2022 | | | | | Lowest Performing Banks under as on 08.09.2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Banks | Targets FY 2022-23 (Rs. In Crs) | MM Disbursed (Rs. In Crs) | % Ach. Under MM Disbursed | Sr. No. | Banks | Targets FY 2022-23 (Rs. In Crs) | MM Disbursed (Rs. In Crs) | % Ach. Under MM Disbursed |
| 1 | BANK OF BARODA | 12.50 | 8.29 | 66.33 | 1 | AU SMALL FIN BANK LTD | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PUNJAB NATIONAL BANK | 13.74 | 4.07 | 29.65 | 2 | IDBI BANK | 2.20 | 0.06 | 2.72 |
| 3 | CENTRAL BANK OF INDIA | 5.05 | 1.38 | 27.35 | 3 | ICICI BANK LTD | 4.05 | 0.12 | 2.94 |
| 4 | PUNJAB AND SIND BANK | 1.49 | 0.38 | 25.73 | 4 | BANK OF MAHARASHTRA | 1.20 | 0.06 | 5.21 |
| 5 | BRKGB | 8.10 | 1.97 | 24.31 | 5 | STATE BANK OF INDIA | 19.10 | 1.73 | 9.06 |
| 6 | CANARA BANK | 5.30 | 1.09 | 20.62 | 6 | RMGB | 6.54 | 0.60 | 9.13 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 2.56 | 0.44 | 17.32 | 7 | BANK OF INDIA | 4.65 | 0.49 | 10.46 |
| 8 | UNION BANK OF INDIA | 6.20 | 1.00 | 16.06 | 8 | UCO BANK | 4.60 | 0.51 | 11.13 |
| Source: PMEGP Portal | | | | | | | | | |

उन्होने योजनांतर्गत एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक (0.00%), आईडीबीआई बैंक (2.72%), आईसीआईसीआई बैंक (2.94%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (5.21%), भारतीय स्टेट बैंक (90.6%), आरएमजीबी (9.13%), बैंक ऑफ इंडिया (10.46%) एवं यूको बैंक (11.13%) की प्रगति आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष बहुत कम व असंतोषजनक होने का सूचित किया एवं इस वित्तीय वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, आरएमजीबी, बैंक ऑफ इंडिया एवं यूको बैंक, राजस्थान)**

योजनांतर्गत वाणिज्यिक बैंक का 92.11%, निजी बैंक द्वारा 1.36% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 6.53% योगदान है।

**प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि भारतीय स्टेट बैंक ने पिछली बैठक में सितंबर 2022 तक 50% उपलब्धि करने का आश्वासन दिया था पर आज दिनांक तक 32% उपलब्धि है। उन्होने भारतीय स्टेट बैंक से बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, राजस्थान)**

**Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojna (IGSCCY)**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य में 5,00,000 के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 08.09.2022 तक कुल प्राप्त 2,90,823 आवेदनों के सापेक्ष कुल 30,484 (6.11%) आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है जो कि असंतोषजनक है।

IGSCCY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

| Top Performing Banks under as on 08.09.2022 | | | | | Lowest Performing Banks under as on 08.09.2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Banks | Targets (No.) | Applications Disbursed | % Ach. | Sr. No. | Banks | Targets (No.) | Applications Disbursed | % Ach. |
| 1 | STATE BANK OF INDIA | 99079 | 11594 | 11.70 | 1 | YES BANK | 6658 | 0 | 0.00 |
| 2 | BANK OF BARODA | 47887 | 3994 | 8.34 | 2 | RSCB | 15584 | 0 | 0.00 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 4029 | 274 | 6.80 | 3 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 5357 | 0 | 0.00 |
| 4 | PUNJAB NATIONAL BANK | 53550 | 3344 | 6.24 | 4 | INDUSIND BANK | 7708 | 0 | 0.00 |
| 5 | INDIAN OVERSEAS BANK | 7342 | 414 | 5.64 | 5 | IDFC FIRST BANK LIMITED | 1934 | 0 | 0.00 |
| 6 | UCO BANK | 18275 | 962 | 5.26 | 6 | AXIS BANK | 13742 | 0 | 0.00 |
| 7 | RMGB | 14735 | 770 | 5.23 | 7 | HDFC BANK | 20448 | 25 | 0.12 |
| 8 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | 11397 | 458 | 4.02 | 8 | IDBI BANK | 5587 | 23 | 0.41 |

कुल स्वीकृति में वाणिज्यिक बैंकों का 74.91%, निजी बैंकों का 2.67%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 5.19%, स्माल फ़ाइनेंस बैंक का 1.50% एवं अन्य बैंकों का 15.73% योगदान है।

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे सभी लंबित आवेदनों को मेरिट के आधार पर जल्द से जल्द निपटाएं, सभी स्वीकृत आवेदनों को वितरित करें और पोर्टल पर भी अपडेट करें। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार उन सभी पीएमएमवाई लाभार्थियों को कवर करने का अनुरोध किया, जिन्हें 01 अक्टूबर 2021 को या उसके बाद 50,000 रुपये (शिशु श्रेणी) तक का ऋण दिया गया है एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए विभाग को जानकारी जमा करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** की टिप्पणी- IGSCCY के अंतर्गत अस्वीकृति प्रतिशत बहुत अधिक है जो चिंतनीय है।

**प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- मुख्य सचिव महोदया ने IGSCCY के अंतर्गत असराहनीय प्रदर्शन पर गहरी नाराजगी जाहीर की है।

**प्रतिनिधि, एचडीएफ़सी बैंक, राजस्थान** ने सूचित किया कि आवेदन अस्वीकार करने का मुख्य कारण कम CIBIL score होना है।

**प्रमुख शासन सचिव, कृषि और बागवानी विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- IGSCCY के अंतर्गत मूल राशि credit guarantee fund एवं ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। फिर CIBIL score के कारण आवेदन अस्वीकृत करना स्वीकार्य नहीं है।

**निदेशक (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार**_ने सूचित किया कि -

- आज दिनांक तक सरकार द्वारा ब्याज का पुनर्भुगतान लंबित नहीं है।
- बैंकों के पास योजना के अंतर्गत करीब 1,00,000 आवेदन लंबित हैं।
- कुछ बड़े बैंक जैसे एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक एवं इंडियन ओवर्सीस बैंक का प्रदर्शन इस योजना के अंतर्गत असंतोषजनक है। उन्होने इन सभी बैंकों से बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक एवं इंडियन ओवर्सीस बैंक, राजस्थान)**

**प्रतिनिधि, येस बैंक, राजस्थान** ने सूचित किया कि उनके बैंक को बहुत अधिक लक्ष्य आवंटित किये गये है। उनके बैंक को पोर्टल पर 76 आवेदन प्राप्त हुये हैं जिनमे से 12 underwriter के स्तर पर लंबित हैं एवं 63 शाखाओं के पास लंबित हैं। हम प्रगति का follow up कर रहे हैं।

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** की टिप्पणी- येस बैंक को जब लक्ष्य आवंटित किए गए थे तब ही लक्ष्यों के अत्यधिक होने पर आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए थी। उन्होने समस्त बैंक से अगली तिमाही की एसएलबीसी बैठक तक 40% लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: येस बैंक एवं अन्य सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि मुख्य सचिव महोदया ने IGSCCY के अंतर्गत 30 जनवरी, 2022 तक 5,00,000 का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होने बैंकों से निवेदन किया कि आवेदनों को 15 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान करें एवं अस्वीकर्त करने का उचित कारण सूचित करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक** ने सूचित किया कि उनका बैंक CGTMSE के अंतर्गत covered नहीं है। 30 में से 15 बैंक में ही NPA 5% से कम है। बचे हुये 15 बैंकों ने CGTMSE की सदस्यता के लिए आवेदन किया है एवं मामला विचारधीन है।

**रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को CGTMSE के अंतर्गत cover करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है पर वर्तमान मानदंडों के आधार पर मात्र 15 सहकारी बैंक ही सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर हो पा रहे हैं। सहकारी बैंक ने राजस्थान सरकार से CGTMSE कवरेज की जगह 2 लोगों से guarantee लेने की अनुमति मांगी किन्तु अनुमति नहीं मिली।

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने सभी बैंकों से उनके पास लंबित 80,000 आवेदनों को एक महीने के भीतर निस्तारित करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**प्रमुख शासन सचिव, कृषि और बागवानी विभाग, राजस्थान सरकार** ने वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि अगली बैठक तक जिन बैंकों का IGSCCY के अंतर्गत सरहनीय प्रदर्शन नहीं हो अथवा 40% उपलब्धि न हो उनको सरकारी व्यवसाय प्रदान न करें एवं दिया गया सरकारी व्यवसाय वापस ले लें।

**(कार्यवाही: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)**

**प्रतिनिधि, आरएमजीबी, राजस्थान** ने सूचित किया कि राजस्थान सरकार के विभागों में CASA deposit किसी और बैंक को दिये जा रहे है एवं ऋण हेतु लक्ष्य किसी और बैंक को दिये जाते हैं।

**Mukhya Mantri Laghu udyog Protsahan Yojna (MLUPY)**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि दिनांक 09.09.2022 तक योजनांतर्गत 10917 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए है जिनमें से 3506 आवेदन स्वीकृत किए गए है एवं 2952 आवेदन पत्रों में ऋण वितरण किया गया है।

| S. No. | Particulars | Progress as on 09.09.2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Forwarded (FI) | | Sanction (FI) | | Disbursement | |
| | | Total App. | Total App. | Amt (In Cr) | Total App. | Amt (In Cr) | Total App. | Amt (In Cr) |
| A | Rajasthan | 10780 | 10917 | 2902.65 | 3506 | 1067.18 | 2952 | 699.03 |

MLUPY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

| Top Performing Major Banks as on 09.09.2022 | | | | | | Low Performing Major Banks as on 09.09.2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | Particulars | Target | Sanction (FI) | | % Sanctioned against Target | S. No. | Particulars | Target | Sanction (FI) | | % Sanctioned against Target |
| | | Total App. | Total App. | Amt (In Cr) | | | | Total App. | Total App. | Amt (In Cr) | |
| 1 | BANK OF BARODA | 1076 | 573 | 184.92 | 53.25 | 1 | YES BANK | 80 | 6 | 3.42 | 7.50 |
| 2 | BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK | 1026 | 486 | 35.50 | 47.37 | 2 | INDIAN BANK | 278 | 25 | 7.24 | 8.99 |
| 3 | STATE BANK OF INDIA | 1725 | 395 | 118.62 | 22.90 | 3 | ICICI BANK LIMITED | 579 | 55 | 70.82 | 9.50 |
| 4 | PUNJAB NATIONAL BANK | 1151 | 386 | 90.43 | 33.54 | 4 | AXIS BANK | 194 | 23 | 14.91 | 11.86 |
| 5 | RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | 708 | 294 | 10.97 | 41.53 | 5 | PUNJAB AND SIND BANK | 110 | 20 | 9.43 | 18.18 |
| 6 | CANARA BANK | 444 | 233 | 62.51 | 52.48 | 6 | HDFC BANK | 424 | 80 | 84.67 | 18.87 |
| 7 | UNION BANK OF INDIA | 597 | 157 | 58.58 | 26.30 | 7 | BANK OF MAHARASHTRA | 111 | 21 | 21.38 | 18.92 |
| 8 | UCO BANK | 442 | 146 | 30.46 | 33.03 | 8 | CENTRAL BANK OF INDIA | 374 | 80 | 30.01 | 21.39 |

उन्होने कम प्रगति करने वाले बैंकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: येस बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान)**

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द आवेदनों का निपटारा करें और सभी स्वीकृत आवेदनों में वितरण करें। साथ ही पोर्टल पर प्रगति को नियमित आधार पर अपडेट करने और सब्सिडी का दावा करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी-

- स्वीकृति प्रतिशत 39% है जो संतोषजनक है। किन्तु बैंकों से अनुरोध है कि आखरी तिमाही में अधिक कार्य/ प्रगति करने की प्रवृत्ति है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि तीसरी तिमाही से ही संतोषजनक प्रगति करें।
- सरकारी बैंकों की अपेक्षा निजी बैंकों का प्रदर्शन असंतोषजनक है।
- भारतीय स्टेट बैंक के MLUPY के अंतर्गत सबसे अधिक लक्ष्य है एवं सबसे अधिक आवेदन भारतीय स्टेट बैंक को प्रेषित किए गए हैं पर उनका प्रदर्शन बहुत असंतोषजनक है। करीब 63% आवेदनों का निस्तारण उक्त बैंक द्वारा नहीं किया गया ही। कृपया इनका निस्तारण करें।

**(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, राजस्थान)**

**प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक, राजस्थान** ने MLUPY के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने का आश्वासन दिया।

**Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojna (IMSUPY)**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1070 लाभार्थियों को रु. 53.33 करोड़ कि ऋण स्वीकृति की गयी है।

**आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी-

- बैंकों के पास पिछले वित्तीय वर्ष के 2,000 एवं इस वित्तीय वर्ष के 2,800 आवेदन यानि कुल 4,800 आवेदन लंबित हैं जो कि चिंतनीय है। उन्होने बैंकों से लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का अनुरोध किया।
- IMSUPY के अंतर्गत ऋण वितरण प्रतिशत असंतोषजनक है। उन्होने बैंकों से स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरण करने का अनुरोध किया।
- बैंक सबसिडी क्लैम नहीं कर रहे हैं जिससे लाभार्थी का interest payment चलता रहता है एवं महिलाओं पर अधिक बोझ पड़ता है। उन्होने बैंकों से सबसिडी क्लैम करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**PMFME Scheme**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि दिनांक 07.09.2022 तक बैंकवार प्रगति निम्न प्रकार है:

| Progress under PMFME during FY 2022-23 as on 07.09.2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S. No. | Particulars | Target (No. of A/c) | Achievement | Pending Applications |
| A | Public Sector Bank Total | 1524 | 40 | 84 |
| B | Private Sector Bank Total | 418 | 12 | 23 |
| C | RRB Total | 321 | 6 | 16 |
| D | Co-Operative Bank Total | 43 | 0 | 3 |
| E | Small Finance Bank Total | 75 | 4 | 6 |
| | Rajasthan Total | 2382 | 62 | 132 |

**Agriculture Infrastructure Fund (AIF)**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि **कृषि अवसंरचना निधि के तहत** दिनांक 22.08.2022 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

| Progress under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) as on 22.08.2022 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Bank | Application forwarded to Banks | | Application Sanctioned by Banks | | Out of Sanctioned App. pending for Disb. | | Out of Sanctioned App. Disbursed By Bank | | Application Pending with Bank | | Application Rejected by Bank | |
| | | No. | Amt. (In Cr.) | No. | Amt. (In Cr.) | No. | Amt. (In Cr.) | No. | Amt. (In Cr.) | No. | Amt. (In Cr.) | No. | Amt. (In Cr.) |
| A | PUBLIC SECTOR BANKS TOTAL | 699 | 768.09 | 553 | 606.04 | 68 | 78.89 | 485 | 426.01 | 20 | 28.89 | 126 | 133.16 |
| B | PRIVATE SECTOR BANKS TOTAL | 203 | 317.26 | 112 | 133.49 | 16 | 20.07 | 96 | 102.72 | 55 | 108.01 | 36 | 75.75 |
| C | REGIONAL RURAL BANKS TOTAL | 10 | 6.79 | 9 | 6.69 | 0 | 0.00 | 9 | 4.80 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| D | COOPERATIVE SECTOR BANKS TOTAL | 165 | 39.28 | 127 | 32.02 | 15 | 3.89 | 112 | 17.67 | 30 | 4.90 | 8 | 2.36 |
| E | SMALL FINANCE BANK TOTAL | 22 | 26.93 | 19 | 23.58 | 0 | 0.00 | 19 | 18.78 | 2 | 2.55 | 1 | 0.80 |
| F | OTHERS TOTAL | 14 | 1.43 | 12 | 1.25 | 0 | 0.00 | 12 | 1.21 | 0 | 0.00 | 2 | 0.18 |
| | RAJASTHAN TOTAL | 1113 | 1159.77 | 832 | 803.07 | 99 | 102.85 | 733 | 571.18 | 108 | 144.45 | 173 | 212.25 |

साथ ही उक्त योजनान्तर्गत प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भी अनुरोध है।

उन्होने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत 69 आवेदन पत्र राशि रू 65.31 करोड़ के ऋण स्वीकृति पश्चात विभिन्न बैंक शाखाओं में ऋण वितरण हेतु लम्बित है अतः उक्त आवेदन पत्रों में पात्रतानुसार ऋण वितरण करवाना सुनिश्चित करावें ।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार** की टिप्पणी-

- AIF के अंतर्गत बैंकों को अग्रेषित किए गए आवेदनों की संख्या, उनमे से स्वीकृत किए गए एवं ऋण वितरण किए गए आवेदनों की संख्या में बहुत अंतर है जो चिंतनीय है। उन्होने समस्त बैंकों से लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं वितरण हेतु अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

- सितंबर में एसएलबीसी, राजस्थान को पत्र के माध्यम से सूचित किया है की जुलाई में राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक में सभी राज्यों को AIF के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है। राजस्थान में पिछले वर्ष एवं इस वर्ष का कुल लक्ष्य 3,600 करोड़ है। एसएलबीसी से इस लक्ष्य को ज़िलावार और बैंकवार वितरित करने का अनुरोध है।

**(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)**

- AIF के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राजस्थान को पुरस्कृत किया गया है। उन्होने बैंकों से संतोषजनक प्रगति बनाए रखने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)**

**सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बताया कि

- राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 08.06.2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2022 व रबी 2022-23 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है
- पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2022 के अंतर्गत दिनाँक 26.08.2022 तक केंद्रीय पोर्टल (NCIP) पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

| | |
|---|---|
| Loanee Application Count | 2,07,48,885 |
| Non Loanee Application Count | 12,73,375 |
| Total Sum Insured (Rs.) | 18,680.15 Cr |
| Total Area Insured | 66.15 Lacs Hect. |
| Total Farmer Share (Rs.) | 388.94 Cr |
| Gross Premium (Rs.) | 3,625.36 Cr |

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम सत्र खरीफ 2022 के तहत बैंकों द्वारा अवगत करवाया गया है कि खरीफ 2022 मौसम के तहत कुछ शाखाओं द्वारा अंतिम दिवस से पूर्व ही फसल बीमा प्रीमियम PAY GOV के माध्यम से संबन्धित बीमा कंपनी को प्रेषित कर दिया गया था लेकिन उक्त प्रीमियम राशि तकनीकी समस्या यथा RTGS राशि शाखा को वापस लौटने / गलत प्रीमियम राशि प्रेषित करने के कारण शाखा के PMFBY Wallet में जमा (Credit) नहीं हो पायी है PMFBY एप्लिकेशन अभी तक Unpaid/ Pending है।
- साथ ही बैंकों द्वारा अवगत करवाया गया है कि कुछ कृषकों के आंकड़े गलत विलेज मेपिंग एवं अन्य तकनीकी कारणों से NCIP Portal पर अंतिम तिथि तक अद्यतन नहीं हो पाये है।
- उक्त के संबंध में एसएलबीसी के द्वारा कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है कि भारत सरकार से challan reconcilation एवं Pending Data Entry हेतु खरीफ 2022 मौसम के लिए PMFBY पोर्टल पुनः Reopen करवाने हेतु अनुरोध करने का श्रम करवाये।

**(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)**

- कृषि विभाग राजस्थान सरकर ने पत्र दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से CEO, PMFBY, भारत सरकार खरीफ 2022 मौसम के लिए PMFBY पोर्टल पुनः Reopen करवाने हेतु अनुरोध किया है।
- संयुक्त सचिव और सीईओ पीएमएफबीवाई, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने PMFBY/ RWBCIS के अंतर्गत समस्या/गलती/त्रुटियों/चूक के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त दावों को प्रस्तुत करने और निस्तारण हेतु एवं ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु समिति के गठन के संबंध में पत्रांक 13017/03/2020-कCredit- II FTS No. 86881 दिनांक 09.09.2020 जारी किया है।
- इस संबंध में, कृषि विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार, विभिन्न बैंकों ने भारत सरकार की Higher Power Committee को प्रस्तुत करने हेतु संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ जानकारी प्रस्तुत की है।

- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्रांक F 6 (III) CAG /CI/ PMFBY/ HLC/ 20 ( ) / 2022-23 /367 -69 दिनांक 13.04.2022 के माध्यम से विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रकरण हाई पावर कमेटी के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया है।
- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा पात्र किसानों को फसल बीमा कंपनियों द्वारा फसल बीमा क्लेम का लाभ दिलवाने हेतु आपके स्तर से उचित कार्यवाही करावे।

**(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)**

**आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि राजस्थान में सरकार द्वारा फसल बीमा पोर्टल व कृषि भूमि के रिकॉर्ड को एकीकृत करने की प्रक्रिया के दौरान राज्य में कई प्रकरणों में गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि यथा कब्रिस्तान, देवस्थान, नाला, सड़क, हॉस्पिटल इत्यादि पर केसीसी ऋण दिया जाना, इनका फसल बीमा प्रीमियम भी काटना एवं ब्याज अनुदान भी किसानों के खातों में दिया जाना सामने आया है जो कि गलत है। इस प्रकरण के संबंध में बैंकों द्वारा रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है।

**प्रमुख शासन सचिव, कृषि और बागवानी विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी**- वितरित किए गये केसीसी के माध्यम से interest subvention दिया जाता है एवं राज्य एवं केंद्र सरकार की कृषि बीमा योजनाओं का प्रीमियम भी कटता है। सरकारी भूमि पर केसीसी प्रदान करना नियमानुसार नहीं है। जांच में 5-7% मामलों में गैर कृषि भूमि पर केसीसी ऋण वितरित किया जाना पाया गया है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वह अपने केसीसी के records कि पुनः जांच करवाएँ एवं इस प्रकार के प्रकरण में सुधार हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

**Education Loan**

बैंकों द्वारा वर्ष 2022-23 में जून, 2022 तिमाही तक राज्य में 10304 छात्रों को राशि रू 306.91 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 4499 छात्रों पर बकाया राशि रू 112.34 करोड़ है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 2034 खातों में रु 39.93 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

**Districts with CD Ratio**

| No. of District | CD Ratio Range | Name of Districts |
|---|---|---|
| 9 | >100% | Barmer, Bhilwara, Bundi, Hanumangarh, Jaisalmer, Jhalawar, Pratapgarh, Sri Ganganagar and Tonk |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 71-100% | Alwar, Banswara, Baran, Bharatpur, Bikaner, Chittorgarh, Churu, Dausa, Jaipur, Jalore, Jodhpur, Kota, Nagaur, Sawai Madhopur and Sikar |
| 5 | 61-70% | Ajmer, Jhunjhunu, Pali, Rajsamand and Udaipur |
| 3 | 51-60% | Dholpur, Dungarpur and Karauli |
| 1 | 41-50% | Sirohi |

**Sector wise NPA Position as on 30th June 2022**

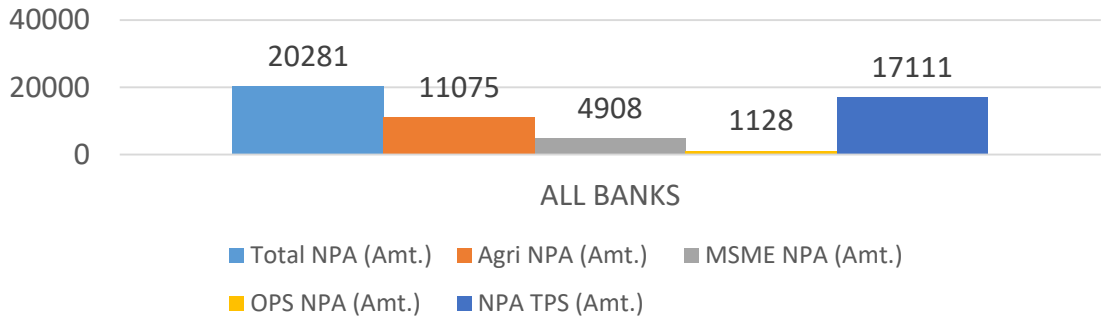


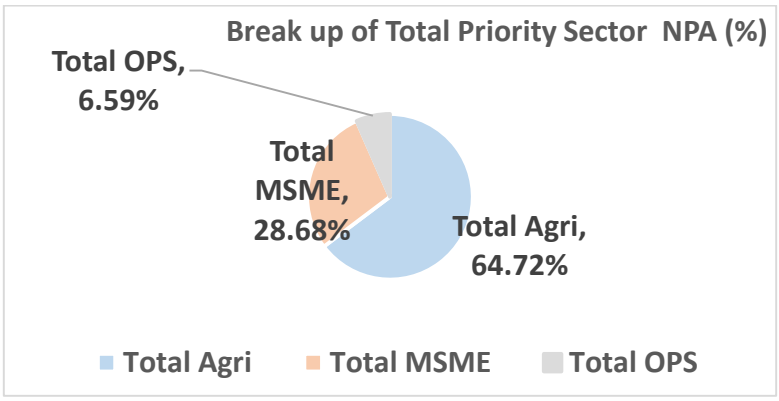


**उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।